ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलियेशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

VEER BAHADUR SINGH PURVANCHAL UNIVERSITY, JAUNPUR

JAUNPUR-222003

सन्दर्भ संख्या:PURVAN/सं०/ /2024 /2356

दिनांक:19/07/2024
27.07.24

स्थायी सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 19/07/2024) से MATA TETRADEVI SACCHIDANAND GIRLS COLLEGE, ALIPUR MANDRA GHA को PG स्तर पर

	Course Name	Subject Name
1	BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	BOTANY
2	BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	CHEMISTRY
3	BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	MATHEMATICS
4	BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	PHYSICS
5	BACHELOR OF SCIENCE (2024-2025)	ZOOLOGY

विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2024-2025 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

1- शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2024-2025 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2019-20 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2651/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

3- संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

4- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्तता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

6- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समयता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7- संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

8- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

9- महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-....., उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ghazipur मण्डल,
4. प्रबन्धक, MATA TETRADEVI SACCHIDANAND GIRLS COLLEGE, ALIPUR MANDRA GHA को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक,MATA TETRADEVI SACCHIDANAND GIRLS COLLEGE, ALIPUR MANDRA GHA, Ghazipur
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुल सचिव

Fax.: (05452) 252244, 252344Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 03-(एक) / 2019 / 5723
दिनांक : 17.5.19

सेवा में,

प्रबन्धक,
माता तेतरा देवी सच्चिदानन्द गर्ल्स डिग्री कालेज
अलीपुर, मदरा, गाजीपुर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1) / सत्तर–6–2014–2(97) / 2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों / पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **माता तेतरा देवी सच्चिदानन्द गर्ल्स डिग्री कालेज अलीपुर, मदरा, गाजीपुर** को **स्नातक** स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **हिन्दी, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं गृहविज्ञान** विषयों में इंगित कमियों को पूर्ण करने के फल स्वरूप स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2017 से** सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267 / 70–2–2005–2(166) / 2002टी.सी.,दिनांक–16.11.2005 एवंशासनादेश संख्या–5125 / 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12 / 2015 / 450 / सत्तर–2015–16 (33) / 2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य / प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
17.05.19
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. अधीक्षक शैक्षणिक को आगामी कार्यपरिषद की बैठक में कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ रखे जाने हेतु।
5. परीक्षा नियंत्रक / अतिगोपनीय / परीक्षा विभाग।
6. टेक्निकल सैल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव